

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/02/2002-प्रशा०-1—राष्ट्रपति,
श्रीमती अनुराधा मानसिंह, भ.०प्र.से० (गुजरात :70) को
उनके व्यक्तिगत आधार पर, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक

हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय के वर्तमान अ
पद का अपर सचिव से भारत सरकार के सचिव स्तर
उन्नयन करके, 29 मई, 2004 से 26,000/- रु० (नि
के वेतनमान में अध्यक्ष एवं भारत सरकार का पदेन स
नियुक्त करते ह ह

राम सिंह यादव, अपर सचि

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सा०का०नि० (फा० सं० ए-12018/1/2003-एन०ए०)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के बलपूर्वक द्वारा प्रदत्त शक्ति
का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में कठिना (समूह 'क' और 'ख'
पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निर्माताओं द्वारा बनते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता
मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :- यह नियम इससे उगावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान के हिसाब से, जो उक्त
अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अतिरिक्त गठन :- इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को अथवा उसके पूर्व राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार
समझौता में नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) को इन नियमों के अंतर्गत विपुला हित, सेवा समझा जाएगा।

6. निरर्हता :- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार व
लागू स्वीय विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों में
प्रवर्तन से छूट दे सकती।

7. निविदा करने की सलाह :- यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वही वह उस
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ नीति सेवा दायी से परामर्श करके इन नियमों के तहत उदाहरण को कि
यों या प्रवर्ण के व्यक्तियों को, बयान, आदेश द्वारा निविदा कर सकती।

8. व्याप्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विज्ञापित गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उदाहरण करना अनुज्ञेय है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	भयन अथवा अभ्ययन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	यदि सेवा में जोड़े गए वर्षों का कायदा अनुशेष है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक	1* (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसूचित	16400-450- 20000 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है						

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व द्वारा या आमेजन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेजन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेजन द्वारा भरे जाएंगे
(11)	(12)

प्रतिनिधित्व जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक
संविदा भी है।

प्रतिनिधित्व (जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकांश निम्नलिखित क्षेत्रों पर पब्लिक सेक्टर के
संस्थानों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त
अनुसंधान संस्थानों या स्वशासित निगमों या अन्य संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समुचित पद
धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 14300-18300/- रुपए या
समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस
श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 12000-16500/- रु० या
समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस
श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(11)

(12)

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य ।
- (ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुदाय में, जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय तकनीकी पद पर चारह वर्ष का अनुभव जिसमें से रासायनिक इंजीनियरिंग के प्रशासन या रासायनिक आयुध अभियंत्रण समय अभिनियम के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बिधि के पारस्परिक प्रवर्तन में चार वर्ष का अनुभव

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसे अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) को भेजा है) पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसे अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अवसर प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वयंसी निरुपयोगों या अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति (जिसे अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी भी तारीख को नियुक्ति (या इन तारीखों के हिसाब से) के संशोधन करने या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चारा, अथवा अन्य पद	सोते पदों की संख्या जिनके पदों के लिए आयु-सीमा अनुभव है या नहीं	चारा सेना में जोड़े गए पदों का फायदा अनुभव है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. समुच्चय निदेशक	1* 2004	साधरण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसूचित	12000-375 16500 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निम्न शैक्षणिक और शैक्षणिक अर्हताएं अपेक्षित व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिशीला की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्ति द्वारा या प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा द्वारा तथा निम्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

प्रोत्ति/प्रतिनिधित्व/अन्यथा द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियाँ जिनसे प्रोत्ति/प्रतिनिधित्व/अन्यथा किया जाएगा।

(11)	(12)
प्रतिनिधित्व जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनिधित्व (जिसे सीधे भर्ती में संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार के अखिल अधिकारी जिसके न ही सहने पर पश्चिम सेक्टर के उत्तरों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल रूप से या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल रूप से या विभाग में 10000-15200 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :— आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रसायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुह में, जो कार्वरिंग रसायनों और कार्वरिंग रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय तकनीकी पद पर दस वर्ष का अनुभव। (प्रतिनिधित्व की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य हाइर बाइर पद पर प्रतिनिधित्व (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनिधित्व (जिसे सीधे भर्ती में संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोत्ति समिति है तो उसका संरचना।

भर्ती करने में इन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)	(14)
लागू नहीं होता	राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों से प्रतिनिधित्व (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति तथा इन नियमों के किसी उपबंध या सुनौवन करने या सिद्धि करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	यदि सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप-निदेशक	1* (2004) 1* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननु-सचिवीय	10000- 325- 15200 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्वान्तरण/अ.मे.न किया जाएगा

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है -

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके न हो स होने पर पश्चिम क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संघठनों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काष्ठ या विभाग में नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काष्ठ या विभाग में 8000-13510 रुपर या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काष्ठ या विभाग में 6500-10500 रु० या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ; और

(11)

(12)

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायन विज्ञान या औद्योगिक रासायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक औद्योगिक या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य ।

(ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक संस्थान में, जो कार्बनिक रासायनों और कार्बनिक रासायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय या तकनीकी पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोग्रेस समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में दिन परिसरों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या संस्थान प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानून संघों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर जितने अधिकारों को नियुक्ति द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या निरस्त करने से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चर, अथवा अनवरत पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	चर सेवा में जोड़े गए व्यक्तियों का आयु-सीमा अनुभव है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

4. त.नीकी अधिकारी

4* (2004)

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसंधानीय

6500-200-10500 रु०

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोग्रेस व्यक्तियों की दला में लागू होंगी या नहीं ।

परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो ।

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व द्वारा या अमेका द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिस्पर्धता

प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/अमेका द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिससे प्रोन्नति/स्थापना/उत्तरा/अमेका किया जाएगा

(11)

प्रतिनिधित्व जिसके अंतर्गत अल्पजातिक संविदा भी है।

(12)

प्रतिनिधित्व (जिसके अंतर्गत अल्पजातिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके न हो सके पर पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वयंसेवी विभागों या जातूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500—9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000—8000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्थापन विज्ञान या औद्योगिक स्थापन विज्ञान में मास्टर डिग्री या राजस्विक प्रोद्योगिकी या राजस्विक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।

(ii) किसी ऐसे उद्योगी या राजस्विक उद्योगी या औद्योगिक संस्थान में जो कार्वरिज स्थापनों और कार्वरिज स्थापन उद्योग क्षेत्र में लगा हुआ है तकनीकी पद पर दो वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनिधित्व को शक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पजातिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधीन या किसी अन्य तंत्र या विभाग में इस नियुक्ति के डीनर वाले अधिकारी जो अन्य काडर या पद पर प्रतिनिधित्व (जिसके अंतर्गत अल्पजातिक संविदा भी है) की शक्ति है) द्वारा नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष से अधिक सेवा की होना। निम्नलिखित (जिसके अंतर्गत अल्पजातिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक सेवा करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

(13)

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ सीधे सेवा अधीन से परामर्श किया जाएगा

(14)

सांगू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विशेषज्ञों या पन्ना या अनुसंधान संस्थानों या स्वयंसेवी विभागों या तंत्रों या उद्योगों या निदेशों (जिसके अंतर्गत अल्पजातिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्ति तथा इन विभागों के किसी उपबंध का संशोधन करने या निविदा करने या संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 3rd January 2005

No. A. 22017/3/2004-PMA—Shri Jyotindra Nath Dixit, IFS (Retd), National Security Advisor, expired on the forenoon of 3rd January, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st December 2004

No. RS/3(i)/2004/98-Perl.—Shri Nagendra Kumar Singh who was earlier appointed to officiate as Director (LARRDIS) against an ad-hoc vacancy in the grade *vide* Notification No. RS/3(iv)/2004/65-Perl dated 1st September, 2004 has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 31st December, 2004, until further orders.

VANJULA G. RAJAN, Under secy.

No. RS/3(i)/2004/99-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri P. R. Guha Roy, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat as Director

NATIONAL AUTHORITY
CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi, the 30th December 2004

G.S.R. (F. No. A. 12018/1/2003-NA)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain (Group 'A' and 'B') posts in the National Authority for the Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely:—

1. Short title and commencement:—(i) These rules may be called the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2004.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
3. Number of posts, classification and scales of pay:—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.
4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.:—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
5. Initial Constitution:—Any person(s) appointed in the National Authority for Chemical Weapons Convention, on or before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules.
6. Disqualification.—No person, —
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

7. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
8. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

in that Secretariat with effect from the forenoon of the 31st December, 2004 until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th December 2004

No. A-19011/02/2002-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Mansingh, IAS (GJ:70) as Chairperson & ex-officio Secretary to the Government of India in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) with effect from 29th May, 2004 by upgrading the existing post of Chairperson, National Authority, CWC, Cabinet Secretariat from the level of Additional Secretary to the level of Secretary to the Government of India as personal to Smt. Anuradha Mansingh.

R. S. YADAV, Under Secy.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Adviser	*01 (2004) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A'-Gazetted -Non-Ministerial	16400-450-20000	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made						If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(11)	(12)						(13)	(14)	
Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government falling which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent. (ii) Twelve years' experience in a managerial technical position in a technical or research organization or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry, out of which four years experience in administration of chemical units or implementation of the provisions of Chemical Weapons Convention Act and enforcement of law interaction with State Governments or International organisation. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).						Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any the provisions of these rules	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Joint Director	*01 (2004)	General Central Service	12000-375-16500	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'A'-Gazetted -Non-Ministerial							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government failing which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute or equivalent. (ii) Ten years' experience in a managerial technical position in a technical or research organization or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Deputy Director	*01 (2004) **01 (1998)	General Central Service	10000- 325- 15200	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'A'- Gazetted -Non- Ministerial							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract.	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government failing which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognised research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with <u>five</u> years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with <u>Eight</u> years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent. (ii) Five years' experience in a managerial technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

**Created with the designation of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-15200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Technical Officer	*04 (2004)	General Central Service	6500-200-10500	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'B'-Gazetted Non-Ministerial							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government falling which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognised research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent. (ii) Two years' experience in a technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

RAJU SHARMA, Joint Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17—फरवरी 23, 2007 (माघ 28, 1928)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17—FEBRUARY 23, 2007 (MAGHA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों व नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति मन्चिवालय

नई दिल्ली—110004, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. ए-34011/1/06-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री आर. एस. ताम्र को 27 जनवरी, 2007 के पृष्ठ 30 में राष्ट्रपति मन्चिवालय में, अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान, के पद पर नियुक्त करने हैं।

आर. एस. ताम्र, उप सचिव

मुख्य सभा मन्चिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आएम/1524/सभा (कार्यक) — अधिवक्ता को आयु प्राप्त कर लेने पर श्री देवी दाम, निदेशक 31 जनवरी, 2006 के अग्रपृष्ठ में सेवा बहुत हो गई।

प्र. ई. मुहम्मद, निदेशक

दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. ए-39011/9/06-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री ए. ए. मिश्रीको, अनुभाग अधिवक्ता, राष्ट्रपति मन्चिवालय, 31 जनवरी, 2007 के अग्रपृष्ठ से अधिवक्ता प्रबंध के पद पर नियुक्त हो गई हैं।

आर. एस. ताम्र, उप सचिव

सं. आएम/6(iv)/2007/12-कार्यक — डा. प्रमनजीत शर्मा, राज्य, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री मोताराम वेदु) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में मुख्य सभा मन्चिवालय में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किया गया था, को सेवानिवृत्त 31 दिनांक 2006 के अग्रपृष्ठ से समाप्त कर दी गई है।

प्र. ई. मुहम्मद, निदेशक

सं. ए-34011/1/06-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री एन. एन. को, उपसचिव, को 1 जनवरी, 2007 के पृष्ठ 30 में राष्ट्रपति मन्चिवालय में, अधिवक्ता अधिवक्ता के पद पर नियुक्त करने हैं।

आर. एस. ताम्र, उप सचिव

सं. आएम/6(iv)/2007/12-कार्यक — डॉ. योगेश कौशिक को मुख्य सभा मन्चिवालय में 1 जनवरी, 2007 के पृष्ठ 30 के आधार पर आदेशों के तहत कार्य करने के लिए

सचिव के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री सोनाराम येसुगो) के वैयक्तिक स्टाफ में किया गया है।

2. श्री योरेण कोडुगो को नियुक्ति राज्य सभा में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और यह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

प्र. रं. गृहाराय, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. आण्म्. 1706/स्था. (कार्मिक) - श्री टी. नाहामासी, वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकार के स्वीच्छक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप यह 1 फरवरी, 2007 के पूर्वोक्त से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. पी. राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली-110021, 8 जनवरी 2007

सं. ए. 12018/1/2004-एन ए- भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2004 को पृष्ठ 59 से 63 में प्रकाशित किए गए राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पर) भर्ती नियम, 2004 (अंग्रेजी रूपान्तर) के अंतर्गत उप निदेशक के पद से संबंधित अनुसूची के अधीन स्लैब (12) के नीचे पैर क (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

(क) (ii) किन्होंने मूल कांडर या विभाग में 8,000-13,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के परचाउ उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, या

(iii) किन्होंने मूल कांडर या विभाग में 6,500-10,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के परचाउ उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो, और

रानू शर्मा, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रस. II - राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के कस्बा और राष्ट्रीय योजना संगठन में अनुसंधान सहायक, श्री गजानन मण्डी को योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 25.01.2007 (पूर्वोक्त) से एक वर्ष की अवधि के लिए, या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 181/1/2006/1388 - राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को 31 अगस्त, 2006 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री राधकृष्ण कुमार

2. श्री शंकाश राम (अ. जा.)

3. श्री के. अजय कुमार

4. श्री आर. के. श्रीधरनाथ

राजेश अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-20/बी-बी/89 - आयोग की दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, प्रधान निजी सचिव श्री सी. पी. शर्मा, की प्रतिनियुक्ति की पदार्थ दिनांक 31.01.2008 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, एतद्वारा बढ़ायी जाती है।

स्टेडोप मुहलूम, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 193/22/1/2007 (एमएल) 1450 - अधिवर्गता की अनुपालन करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्री मंजुन लाल दिनांक 31.01.2007 (अपराह) से सेवानिवृत्त हो गये।

स्टेडोप मुहलूम, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसंबर 2006

सं. ए-32015/3/2006-प्रस. IV (वि. का.) - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.05.2006 के का. जा. सं. 5/8/2006-सं. एस. II के अनुसरण में तथा श्रीमती आर. कर्माई सेल्वी, केंद्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा संवर्धन की ग्रेड 'ग' आधुनिक सेवा द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें रु. 6,500-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 31.05.2006 से 31.12.2006 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इन्हें से जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केंद्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा संवर्धन में तदर्थ 'आधा' पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करे हैं।

2. उपरोक्त प्रोविसी पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है न कि इन्हें तदर्थ 'आधा' में अनिवार्यतः तदर्थ तदर्थ करने वाले आधार पर तदर्थ 'आधा' के लिए

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 29th January 2007

No. A. 35011/6/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Tomar as Superintendent, President's Gardens, President's Secretariat, with effect from the forenoon of 27th January 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

The 1st February 2007

No. A. 29011/9/06-Adm.—On attaining the age of superannuation, Shri M. A. Siddiqui, Section Officer, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st January, 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

No. A. 34011/4/06-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. H. K. Uppal, Assistant, as Section Officer, President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st February 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st January 2007

No. RS/1524/Estt (P)—On attaining the age of superannuation, Shri Devi Dass, Director retired from service with effect from the afternoon of the 31st January, 2007.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6014/2007/12-PerL.—The services of Dr. Prasenjit Bose, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) have been terminated w.e.f. the afternoon of 31st December, 2006.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6014/2007/13-PerL.—Shri Veeraiah Konduri has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) w.e.f. the forenoon of 1st January, 2007, until further orders.

2. The appointment of Shri Veeraiah Konduri is at the discretion of the present Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dir.

New Delhi-110001, the 1st February 2007

No. RS/1706/Estt. (P)—Consequent on the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri T. Nallasamy, Senior Parliamentary Interpreter retired from service with effect from the forenoon of the 1st February, 2007.

C. B. RAI, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

NATIONAL AUTHORITY CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi-110021, the 8th January 2007

CORRIGENDUM

No. A. 12018/1/2004-NA—The paras (a)(ii) below column (12) under schedule relating to the post of Deputy Director under the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment rules, 2004 (English version) published in the Gazette of India on January 15, 2004 (id) pages 59—63, shall be read as under —

- (a) (ii) with five years' service in the grade (entered after appointment thereto on regular basis) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iii) with eight years' service in the grade (entered after appointment thereto on regular basis) in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

RAJU SHARMA, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th January 2007

No. A. 12025/01/2005-Adm. II.—The President is pleased to appoint Shri Gajanan Mali Research Assistant, Town & Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development, New Delhi as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 25.01.2007 (if) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 29th January 2007

No. 181/1/2006/1388—The President of India is pleased to appoint the following officers as Secretary in the scale of pay of Rs. 12,000-325-16,500/- in the Election